



राजस्थान सरकार

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग  
(पंचायती राज)

क्रमांक एफ ३७( )पंचायि/प्रशा.२/मंत्रा/स्थाना./२०१७/२७९७ जयपुर दिनांक: २२.६.१८

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,  
जिला परिषद भीलवाड़ा।

विषय :- कर्मचारियों के स्थानान्तरण/पदस्थापन आदेश जारी करने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि आपके जिले की अधीनस्थ पंचायत समितियों में कार्यरत निम्न सहायक प्रशासनिक अधिकारियों का संस्थापन संबंधी सूचनाओं से मिलान करते हुये स्थानान्तरण/पदस्थापन आदेश जारी कर, पालना से अवगत कराया जाना सुनिश्चित करें।

क्र. सं.	नाम कार्मिक	कहाँ से	कहाँ को	वि० वि०
1	श्री ललित कुमार पारीक	पंचायत समिति शाहपुरा (भीलवाड़ा)	पंचायत समिति कोटडी (भीलवाड़ा)	श्री बालकिशन भुवानिया के स्थान पर
2	श्री बालकिशन भुवानिया	पंचायत समिति कोटडी (भीलवाड़ा)	पंचायत समिति शाहपुरा (भीलवाड़ा)	श्री ललित कुमार पारीक के स्थान पर

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

नोट:-

- यदि कोई कार्मिक माननीय न्यायालय/वादकरण द्वारा पारित स्थगन आदेश की पालना में कार्यरत है तो, ऐसे कार्मिक का स्थानान्तरण/पदस्थापन आदेश जारी नहीं किया जावें।
- यदि किसी कार्मिक की परिवीक्षाधीन अवधि समाप्त नहीं हुई है तो, ऐसे कार्मिक का स्थानान्तरण/पदस्थापन आदेश जारी नहीं किया जावें।
- यदि किसी कार्मिक के स्थान पर स्थानान्तरण/पदस्थापन किया जा रहा है तो प्रभावित कार्मिक का भी पदस्थापन इसी आदेश में अन्य रिक्त पद पर किया जाना सुनिश्चित करावें।
- इन कार्मिकों को यात्रा भत्ता एवं योगकाल देय नहीं है। इनके स्थानान्तरण से प्रभावित कार्मिक को यात्रा भत्ता एवं योगकाल देय होगा।

(राजेन्द्र शुक्ल मक्कड़)

अतिरिक्त आयुक्त  
एवं संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

- विशेष सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्रा०वि०पं०राज विभाग।
- निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग।
- ए.सी.पी., मुख्यालय को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराये जाने हेतु प्रेरित है।
- रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त आयुक्त  
एवं संयुक्त शासन सचिव